राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2949/2025

चंद्र प्रकाश शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित) एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासनिक) पंचायतीराज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.05.2025
आदेश की दिनांक : 16.06.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी आलौच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) को अपास्त कर यथावत कार्यरत रखने का अनुतोष चाहा है, इस आदेश द्वारा सीएचसी, बगरू से जयपुर उप जिला अस्पताल, देचू, फलौदी में स्थानांतरित किया गया है। इसी स्थानान्तरण आदेश के संबंध में इससे पहले अपीलार्थी ने अपील संख्या 1385/2025 पेश की थी जिसे अपील के आदेश दिनांक 24.02.2025 द्वारा निम्न आदेश से निस्तारित किया गया है।

हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार किया गया है। जहां तक अपीलार्थी की व्यक्तिगत परेशानियों का प्रश्न है, ऐसी स्थिति में हम मामलों की वर्तमान परिस्थिति एवं तथ्यों तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 10723/2024 बलराज बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्देशों की पालना में राजस्थान सरकार प्रशासनिक

सुधार एवं समन्वयक (ग्रुप–6) विभाग, जयपुर द्वारा अभ्यावेदन निस्तारण के संबंध में दिनांक 08.10.2024 को परिपत्र जारी कर समस्त विभागों को यह निर्देश दिये गये हैं कि अभ्यावेदन प्राप्ति दिनांक से अधिकतम 30 दिवस में अभ्यावेदन का निस्तारण कर आदेश जारी करें। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वयक (ग्रुप–6) विभाग के उक्त परिपत्र दिनांक 08.10.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुसार अपीलार्थी का अभ्यावेदन संबंधित विभाग द्वारा अभ्यावेदन प्राप्ति दिवस से अधिकतम 30 दिवस में निस्तारण करना सुनिश्चित करें एवं अभ्यावेदन निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को देवें

अपीलार्थी पुनः यह अपील उसी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की है एव निवेदन किया है कि अभ्यावेदन की प्रति प्रतिवादियों को 04.03.2025 को प्रस्तुत की गई थी। (अनुलग्नक–3) जिसमें अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलार्थी को दिल का दौरा पड़ा जिसके परिणामस्वरूप उसे एंजियोप्लास्टी (2 स्टेंट) से गुजरना पड़ा और उसका दिल डॉक्टर द्वारा बताई गई आवश्यक क्षमता से 30–35 प्रतिशत कम काम कर रहा है और अपीलार्थी जिला जयपुर में रहता है और उसकी बेटी भी सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में थी और उसका स्थानांतरण उसके गृह नगर से लगभग 500 किलोमीटर दूर हुआ है, वह किसी प्रशासनिक पद पर नहीं है और तदनुसार 15.01.2025 के स्थानांतरण आदेश को निरस्त करने या उसे संशोधित करने के लिए उसके अभ्यावेदन पर विचार करने का अनुरोध किया जाता है (अनुलग्नक–4 व 5)। अपीलार्थी ने प्रस्तुत अपील में निवेदन किया है कि उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने का आदेश नहीं दिया गया है। यह पद भी रिक्त पड़ा हुआ है। अपीलार्थी को दिनांक 04.03.2025 को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के बाद 02 महीने से भी अधिक समय बीत चुका है, फिर भी अभ्यावेदन पर निर्णय नहीं लिया गया है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को उसी स्थान पर कार्यरत रखा जावे, जहां आलौच्य आदेश जारी होने से पहले कार्यरत थे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) को वर्तमान अपील में पुनः चुनौती दी जिसे पूर्व में अपील संख्या 1385/2025 को चुनौती दी गई एवं वह अपील अपीलार्थी के अधिवक्ता के निवेदन अनुसार प्रत्यर्थी विभाग को अपनी निजी परेशानियों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन 30 दिन में निस्तारण करने के निर्देश के साथ निस्तारित की जा चुकी है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अभ्यावेदन

लम्बित रखने के आधार पर पुनः अपील दायर कर उसी आदेश को चुनौती दी जा चुकी है। अतः न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है। अपीलार्थीगण एवं अपीलार्थी के अधिवक्ता को भविष्य में सहचेत रहने की हिदायत दी जाती है एवं अपील सारहीन एवं बलहीन होने के आधार पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य